न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।
राजस्व विविध वाद संख्या–09/2024
मो0 जमालुद्दीन वगैरह
बनाम्
सोबरा खातुन वगैरह
–: आदेश :–

28.06.2024

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया मो0 जमालूद्दीन पे0–स्व0 खोदाबक्स मियाँ वो मो0 हसीम वो मो0 जसीम वो मो0 हालीम वो मो0 कलीम वो मो0 अलीम वो मो0 इस्लाम वो मो0 नुर हसन सभी के पिता–स्व0 मनिरूद्दीन, निवासी ग्राम+थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–139 के तहत् विपक्षीगण के नाम पर अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा कायम किये गए जमाबंदी को रद्द करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनो पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए तथा दोनों पक्षो द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर/बहस दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद वादीगण की ओर से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–139 के अन्तर्गत लाया गया है जिसका कारण यह है कि वादीगण के भूमि का जमाबंदी अचंल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में कायम कर दिया गया है। छोटानागपुर काश्तकारी

अधिनियम की धारा-139 के प्रावधान के तहत् उपायुक्त को जमाबंदी रद्द करने का शक्ति प्राप्त है। मौजा-चेताग, के गत सर्वे खाता संख्या-35 प्लॉट संख्या-381 से उद्गत हाल सर्वे खाता संख्या-19 प्लॉट संख्या-558 रकबा-3.85 ए0 प्लॉट सं0-560 रकबा-3.92 ए0 प्लॉट सं0-561 रकबा-0.51 ए0 एवं प्लॉट सं0-562 रकबा-0.02 ए0 भूमि का हाल सर्वे खतियान खोदाबक्स मियाँ के नाम से प्रकाशित है, जो आवेदकगण के पूर्वज हैं। आवेकदगण के पूर्वज शुरू से हीं प्रश्नागत भूमि पर शांतिपूर्वक दखल-कब्जा में चले आ रहे हैं, जिनके मरनोपरान्त आवेदकगण उक्त भूमि के दखल-कब्जा में है। आवेदकगण के पूर्वज के नाम पर वर्ष 2017 तक लगान रसीद निर्गत है। हाल सर्वे खतियान आवेदकगण के पूर्वज खोदावक्स मियां के नाम पर प्रकाशित होने पर गुलाम रब्बानी वगैरह द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-89 के तहत् पुनरीक्षण वाद संख्या-229/1983 दायर किया गया था, जिसे खारिज करते हुए हाल सर्वे खतियान को आवेदकगण के पूर्वज के पक्ष में decide किया गया।

गुलाम रब्बानी बिना किसी हक व अधिकार के गत सर्वे के आधार पर विपक्षीगण को अवैध रूप से निबंधित केवाला सं0-498 रकबा-0.75 ए0 केवाला सं0- 496 रकबा-1.00 ए0 एवं केवाला सं0-500 रकबा-1.00 ए0 वर्ष 1991 में भूमि बिक्री करने वाले रैयत है। विपक्षीगण द्वारा भूमि खरीदगी के पश्चात दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, बालूमाथ के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया, जिसका दाखिल खारिज वाद सं0-86/1991-92, 88/1991-92 एवं 87/1991-92

शुरू हुआ तथा विपक्षीगण के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। उक्त दाखिल-खारिज के विरूद्ध आवेदकगण के पूर्वज खोदाबक्स मियाँ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या- 22/1992-93 दायर किया गया, जिसे स्वीकृत करते हुए दाखिल खारिज वाद संख्या-86/1991-92, 88/1991-92 एवं 87/1991-92 को निरस्त कर दिया गया तथा अंचल अधिकारी, बालूमाथ को पुनः Fresh सुनवाई कर दखल-कब्ज के आधार पर दाखिल खारिज का आदेश पारित करने हेतु आदेश पारित किया गया। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के पारित आदेश की अनदेखी की गयी तथा दाखिल खारिज वाद संख्या-86/1991-92, 88/1991-92 एवं 87/1991-92 में पारित आदेश को यथावत रखा गया। अंचल अधिकारी, बालूमाथ के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण के पूर्वज द्वारा पुनः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में दाखिल-खारिज अपील दायर किया गया, परन्तु इस बार अपील को अस्वीकृत कर दिया गया। दाखिल-खारिज अपील के अस्वीकृत होने पर अपीलार्थीगण के पूर्वज द्वारा अपर समाहर्त्ता, पलामू के न्यायालय में दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद-72/1995-96 दायर किया गया, जिसे अपीलार्थीगण के पूर्वज का दखल-कब्जा मानते हुए दाखिल-खारिज पुनरीक्षण को Allow किया गया। अपर समाहर्त्ता, पलामू के दाखिल-खारिज पुनरीक्षण वाद-72/1995-96 में पारित आदेश को विपक्षीगण द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया।

विपक्षी मो0 इस्लाम द्वारा माननीय पटना उच्च

न्यायालय में सी०डब्ल्यु०जे०सी० संख्या-3508/1996 दायर किया गया, जिसे यह कह कर खारिज कर दिया गया कि "It is well settled in a mutation procedding that if any adverse order is passed the poor remedy for the adverse party is to approach the civil court of competent jurisdiction for adjudication of titles."

सभी जगहों से हारने के बाद अचानक विपक्षीगण के पक्ष में अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा विविध वाद सं०-153/21-22, 127/2021-22 एवं 10/2021-22 के द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में कायम कर दिया गया। दाखिल खारिज का मामला पूर्व में हीं न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, पलामूं द्वारा आवेदकगण के पक्ष में आदेश पारित एवं निष्पादित है, जो आज तक प्रभावी है।

अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के S.A NO.298/2017 (भिखुवा उरांव एवं अन्य बनाम् बराईक कृष्णादेव सिंह) में पारित आदेश का जिक्र किया गया कि "Provision of section-84 CNT Act is a exclusive evidence of such publication and it shall be resumed to be correct until it is proved, by evidence to be incorrect."

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदन को स्वीकृत करते हुए विपक्षीगण के पक्ष में कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह मामला चलने योग्य नही है तथा कालबाधित है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनिमय की धारा-39 में दाखिल

खारिज के विरूद्ध आवेदन पत्र दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदकगण द्वारा विविध वाद सं0-153/21-22, 127/21-22 एवं 10/2021-22 से कायम किये गये जमाबंदी को रद्द करने का मांग इस न्यायालय में किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा नये ढंग से कोई दाखिल-खारिज का आदेश पारित नहीं किया गया है, बल्कि विपक्षीगण के पक्ष में वर्ष 1991-92 में निबंधित केवाला के आधार पर दाखिल-खारिज हुआ था, जिसे हाल सर्वे में अद्यतन किया गया है। लम्बे समय से चल रहे मांग को कार्यवाही के तहत् रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। विपक्षी का जमाबंदी निबंधित केवाला के अधार पर खोला गया है। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति केवाला को नजायज होने की बात करता है, तो इसके लिए **Specific Relief Act** की धारा-31 मे सूट दाखिल करने का प्रावधान है। आवेदकगण ने आजतक कोई सूट दाखिल नहीं किया है। आवेदकगण ने तथ्यों को छिपाकर इस न्यायालय में यह वाद दाखिल किया गया है, जो सरासर नजायज है।

विपक्षीगण के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदकगण द्वारा नया सर्वे खतियान को आधार बनाकर यह वाद दाखिल किया है, किन्तु उसके पूर्व की स्थिति को उन्होनें जान बुझकर छिपा दिया है। वादग्रस्त भूमि का जमाबंदी पूर्व से ही गुलाम रब्बानी वगैरह के नाम चलता था तथा सरकार को मालगुजारी दिया करते थे एवं भूमि पर उनका दखल-कब्जा भी था। उन्होनें हीं वादग्रस्त भूमि को विपक्षी के पास बिक्री किये है। विपक्षी के नाम पर किया गया आदेश बिल्कुल सही है। गत सर्वे

खाता संख्या–35 प्लॉट संख्या–381 में रकबा–3.50 एकड़ का मांग गुलाम रब्बानी वगैरह के नाम पर चलता था। उनके द्वारा भूमि की बिक्री करने के पश्चात् उनके जमाबंदी से दाखिल–खारिज के माध्यम से क्रेतागण के पक्ष में जमाबंदी कायम किया गया है। मो0 इस्लाम द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन वाद संख्या–07/1991–92 के तहत् मापी कराकर खुटगड़ी कराया गया था, जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। विपक्षीगण पहले से भूमि के दखल–कब्जा में है। उक्त आलोक में इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद अंचल अधिकारी, बालूमाथ के विविध वाद सं0–153/21–22, 127/21–22 एवं 10/2021–22 के विरूद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–139 के तहत् इस न्यायालय चुनौती दिया गया है।

अंचल अधिकारी, बालूमाथ द्वारा विपक्षीगण द्वारा निबंधित केवाला सं0–498 रकबा–0.75 ए0 केवाला सं0– 496 रकबा–1.00 ए0 एवं केवाला सं0–500 रकबा–1.00 ए0 वर्ष 1991 में गुलाम रब्बानी वगैरह से क्रय किए गए भूमि का विविध वाद सं0–153/21–22, 127/21–22 एवं 10/2021–22 से विपक्षी के पक्ष में जमाबंदी कायम किया गया है।

इस प्रकार यह मामला दाखिल खारिज प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसके विरूद्ध निम्न न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के समक्ष अपील दाखिल

नहीं किया गया है। आवेदकगण को अंचल अधिकारी, बालूमाथ के उपरोक्त वाद में पारित आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार के समक्ष दाखिल खारिज अपील वाद दायर करने के निर्देश के साथ इस वाद की कार्यवाही को समाप्त घोषित किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बालूमाथ एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार को भेजे।

अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

28/6

उपायुक्त, लातेहार।

28/6

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:18:31 +05:30
Location: 192.168.5.143